जल संसाधन मंत्रालय

मांग संख्या 104

जल संसाधन मंत्रालय

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		460.12	449.18	909.30	624.20	500.93	1125.13	535.75	500.93	1036.68	1373.20	539.20	1912.40
पूंजी		***60.36***	*1.95*	*62.31*	*95.80*	*1.80*	*97.60*	*84.25*	*1.80*	*86.05*	*126.80*	*1.80*	*128.60*
जोड़		**520.48**	**451.13**	**971.61**	**720.00**	**502.73**	**1222.73**	**620.00**	**502.73**	**1122.73**	**1500.00**	**541.00**	**2041.00**
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	...	37.68	37.68	...	69.98	69.98	...	70.25	70.25	...	75.28	75.28
बृहद तथा मध्यम सिंचाई													
2. केन्द्रीय जल आयोग	2701	2.95	147.80	150.75	3.00	149.50	152.50	4.00	150.21	154.21	...	156.58	156.58
3. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र	2701	...	7.74	7.74	...	8.31	8.31	...	8.31	8.31	...	8.49	8.49
4. केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र	2701	...	32.57	32.57	...	35.67	35.67	...	35.67	35.67	...	36.42	36.42
5. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	2701	...	9.80	9.80	...	8.50	8.50	...	8.50	8.50	...	10.05	10.05
6. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2701	41.36	...	41.36	45.89	...	45.89	36.70	...	36.70	92.00	...	92.00
7. अन्य													
7.01 बोर्ड और समितियां	2701	...	2.13	2.13	...	2.95	2.95	...	2.97	2.97	...	2.95	2.95
	4701	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	*2.13*	*2.13*	...	*2.95*	*2.95*	...	*2.97*	*2.97*	...	*2.95*	*2.95*
8. राज्यों का आयोजना-भिन्न अनुदान													
8.01 सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के लिये सहायता	3601	...	...	...	...	2.06	2.06	...	2.06	2.06	...	18.04	18.04
9. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	2701	28.93	...	28.93	46.84	...	46.84	46.84	...	46.84	64.45	...	64.45
	2702	0.07	...	0.07	0.06	...	0.06	0.11	...	0.11	0.01	...	0.01
	3601	10.39	...	10.39	11.04	...	11.04	10.98	...	10.98	10.48	...	10.48
	3602	0.04	...	0.04	0.06	...	0.06	0.07	...	0.07	0.06	...	0.06
	जोड़	*39.43*	...	*39.43*	*58.00*	...	*58.00*	*58.00*	...	*58.00*	*75.00*	...	*75.00*
10. अवसंरचना विकास	2701	2.82	...	2.82	3.00	...	3.00	2.15	...	2.15	3.20	...	3.20
11. जल विज्ञान परियोजना													
11.01 ईएपी घटक	2701	25.03	...	25.03	76.00	...	76.00	46.54	...	46.54	64.40	...	64.40
11.02 ईएपी-भिन्न घटक	2701	2.19	...	2.19	4.00	...	4.00	3.46	...	3.46	5.60	...	5.60
जोड़- जल विज्ञान परियोजना		*27.22*	...	*27.22*	*80.00*	...	*80.00*	*50.00*	...	*50.00*	*70.00*	...	*70.00*

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
12. जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण	2701	44.27	...	44.27	52.00	...	52.00	52.00	...	52.00	...	...	...
13. सूचना, शिक्षा तथा संचार	2701	13.30	...	13.30	25.00	...	25.00	18.00	...	18.00	...	...	...
14. बाँध सुरक्षा अध्ययन तथा योजना	2701	1.11	...	1.11	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	...	...	...
15. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	2701	...	...	...	4.00	...	4.00	...	...	...	...	...	...
16. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	2701	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85.00	...	85.00
17. नदी बेसिन प्रबंधन	2701	...	...	...	...	...	...	...	...	...	106.00	...	106.00
18. राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	2701	...	...	...	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
19. सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	2701	...	...	...	...	...	...	...	...	...	90.00	...	90.00
20. बांध पुनर्स्थापना सुधार परियोजना													
20.01 ईएपी घटक	2701	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19.00	...	19.00
20.02 गैर ईएपी घटक	2701	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
जोड़- बांध पुनर्स्थापना सुधार परियोजना		*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*24.00*	*...*	*24.00*
जोड़-बृहद तथा मध्यम सिंचाई		**172.46**	**200.04**	**372.50**	**273.89**	**206.99**	**480.88**	**222.85**	**207.72**	**430.57**	**745.20**	**232.53**	**977.73**
लघु सिंचाई													
21. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	2702	...	100.46	100.46	...	105.02	105.02	...	105.14	105.14	...	105.98	105.98
22. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटी एंड आरआई	2702	3.19	...	3.19	3.00	...	3.00	3.60	...	3.60	...	...	...
23. भूमिगत जल प्रबंधन और विनियमन	2702	80.93	...	80.93	117.00	...	117.00	129.00	...	129.00	288.00	...	288.00
24. अवसंरचना विकास	4702	6.86	...	6.86	10.40	...	10.40	6.85	...	6.85	33.80	...	33.80
25. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	2702	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
जोड़-लघु सिंचाई		**90.98**	**100.46**	**191.44**	**130.40**	**105.02**	**235.42**	**139.45**	**105.14**	**244.59**	**336.80**	**105.98**	**442.78**
बाढ़ नियंत्रण													
26. केन्द्रीय जल आयोजन	2711	...	69.41	69.41	...	75.35	75.35	...	75.02	75.02	...	75.62	75.62
27. पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में संकटकालीन बाढ़ बचाव निर्माण कार्य	7601	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
28. बाढ़ नियंत्रण की अन्य स्कीमें													
28.01 बाढ पूर्वानुमान	2711	24.02	...	24.02	34.00	...	34.00	34.00	...	34.00	44.00	...	44.00
28.02 नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	2711	79.88	...	79.88	14.00	...	14.00	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00
	3601	99.64	...	99.64	100.00	...	100.00	74.00	...	74.00	100.00	...	100.00
	जोड़	*179.52*	*...*	*179.52*	*114.00*	*...*	*114.00*	*89.00*	*...*	*89.00*	*125.00*	*...*	*125.00*
28.03 अवसंरचना विकास	4711	9.48	...	9.48	13.00	...	13.00	4.00	...	4.00	10.00	...	10.00
28.04 नदी बेसिन प्रबंधन	2711	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14.00	...	14.00
जोड़- बाढ़ नियंत्रण की अन्य स्कीमें		*213.02*	*...*	*213.02*	*161.00*	*...*	*161.00*	*127.00*	*...*	*127.00*	*193.00*	*...*	*193.00*
जोड़-बाढ़ नियंत्रण		**213.02**	**72.41**	**285.43**	**161.00**	**78.35**	**239.35**	**127.00**	**78.02**	**205.02**	**193.00**	**78.62**	**271.62**
29. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं के अधीन प्रावधान													

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
29.01 अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2552	...	...	...	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	8.00	...	8.00
29.02 पगलाडिया बाँध परियोजना	2552	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
29.03 जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	2552	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00
29.04 भूमिगत जल प्रबंधन और विनियमन	2552	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	30.00	...	30.00
29.05 जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण	2552	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
29.06 बाढ़ पूर्वानुमान	2552	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
29.07 नदी प्रबंधन कार्यालय और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	2552	...	...	...	74.00	...	74.00	49.00	...	49.00	...	...	...
29.08 अवसंरचना विकास	4552	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	8.00	...	8.00
29.09 मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29.10 सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
29.11 नदी बेसिन प्रबंधन	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80.00	...	80.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं के अधीन प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*84.31*	*...*	*84.31*	*59.30*	*...*	*59.30*	*150.00*	*...*	*150.00*
अन्य परिवहन सेवाएं													
30. फरक्का बैराज परियोजना	3075	...	41.59	41.59	...	43.59	43.59	...	42.80	42.80	...	49.79	49.79
	5075	44.02	...	44.02	70.40	...	70.40	71.40	...	71.40	75.00	...	75.00
	5075	...	-1.05	-1.05	...	-1.20	-1.20	...	-1.20	-1.20	...	-1.20	-1.20
	कुल	*44.02*	*40.54*	*84.56*	*70.40*	*42.39*	*112.79*	*71.40*	*41.60*	*113.00*	*75.00*	*48.59*	*123.59*
कुल जोड़		***520.48***	***451.13***	***971.61***	***720.00***	***502.73***	***1222.73***	***620.00***	***502.73***	***1122.73***	***1500.00***	***541.00***	***2041.00***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. वृहत और मध्यम सिचाई	12701	172.46	...	172.46	273.89	...	273.89	222.85	...	222.85	745.20	...	745.20
2. लघु सिंचाई	12702	90.98	...	90.98	130.40	...	130.40	139.45	...	139.45	336.80	...	336.80
3. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	12711	213.02	...	213.02	161.00	...	161.00	127.00	...	127.00	193.00	...	193.00
4. अन्य परिवहन सेवाएं	13075	44.02	...	44.02	70.40	...	70.40	71.40	...	71.40	75.00	...	75.00
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	84.31	...	84.31	59.30	...	59.30	150.00	...	150.00
जोड़		**520.48**	**...**	**520.48**	**720.00**	**...**	**720.00**	**620.00**	**...**	**620.00**	**1500.00**	**...**	**1500.00**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय हेतु गैर-योजना प्रावधान है।

http://indiabudget.nic.in

2. **राष्ट्रीय जल अकादमी:** केंद्रीय जल आयोग हेतु प्रावधान किया गया है।

6. **जल क्षेत्र संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम:** स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं :

(i) देश की जल संसाधनों से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजना ; उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार करना । (ii) नवीनतम प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका को बनाए रखना । (iii) राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संगत सूचना एकत्र कर विषय क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं में देश की आधुनिक तकनीक की समीक्षा करना तथा ज्ञान संबंधी अंतराल को निर्धारित करना; अंतराल को कम करने हेतु उपयुक्त कार्यविधि तैयार एवं कार्यान्वित करना। (iv) जल संसाधन क्षेत्र में देश के विभिन्न संस्थानों द्वारा आरंभ किए जाने वाले अनुसंधान कार्यकलाप तैयार, समन्वित करना तथा वित्तपोषण हेतु उनकी सिफारिश करना। (v) पत्रिकाएं, अनुसंधान समाचार/डाइजेस्ट प्रकाशित कर संगोष्टियों/सम्मेलनो/कार्यशालाओं का प्रबंध एवं आयोजना कर विषय से संबंधित सूचना का प्रचार तथा सोच को प्रोत्साहित करना। (vi) जल क्षेत्र में शैक्षिक, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

9. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** जल नीति में परिकल्पित सूचना प्रणाली के मुख्य पहलुओं को जानने के लिए बड़े प्रारंभिक कदम के तौर पर जल संसाधन प्रणाली संबंधी स्कीम में उपग्रह से प्राप्त आकृतियों तथा अन्य सूचना के प्रयोग द्वारा मुख्य रूप से मौजूदा प्रणाली, वाटरशेड मानचित्रों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को संकलित करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आंकड़ा आधार व आंकड़ा बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है । भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग, जल संसाधन विकास में लगे योजनाकारों एवं प्रबंधकों को आकृति संबंधी जानकारी के लिए वाटरशेड मानचित्र आधारित सामयिक सूचना के दृश्य-प्रदर्शन हेतु किया जाएगा ।

जल संसाधनों का सही आकलन करने, बेसिनों के व्यापक विकास हेतु उनके अनुकूलतम उपयोग की आयोजना/बाढ़ घटनाओं के पूर्वानुमान और अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान हेतु देश में विभिन्न नदी बेसिन के बेसिन जल विज्ञानीय आंकड़े एकत्र करना, एक पूर्वापेक्षा है । जल विज्ञानीय प्रेक्षण स्थलों की अपर्याप्तता के कारण, डब्ल्यूएमओ के दिशानिर्देशों के अनुसार जलविज्ञानीय प्रेक्षण स्थलों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।

10. **अवसंरचना विकास:** जल संसाधन मंत्रालय की अवसंरचनात्मक विकास स्कीम को वर्तमान चार स्कीमों अर्थात (i) भूमि एवं भवन निर्माण (एल एंड बी) और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी योजना (ii) केंद्रीय जल आयोग का एल एंड बी, (iii) जल संसाधन मंत्रालय का सूचना प्रौद्योगिकी विकास एवं (iv) सीडब्यूसी के कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उन्नयन/आधुनिकीकरण के आमेलन/एकीकरण द्वारा तैयार किया गया है।

11. **जल विज्ञान परियोजना:** जल विज्ञान संबंधी जानकारी प्रणाली के सतत् एवं कारगर प्रयोग को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए जल विज्ञान परियोजना चरण-।। (एच.पी.-।।) में तेरह राज्य और आठ केन्द्रीय संगठन भागीदार हैं । कई प्रमुख/खास कार्यकलाप हैं जो परियोजना विकास उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए जरूरी हैं और जिन्हें XIIवीं योजना में जारी रखने की संभावना है । प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं :- (i) सही समय संबंधी आंकड़ा प्राप्ति प्रणाली (आरटीडीएएस) (ii) 1262 पीजोमीटरों का निर्माण और 1262 डीडब्यूल एलआर की स्थापना (iii) निर्णय समर्थन प्रणाली-आयोजना (डीएसएस-पी) (iv) निर्णय समर्थन प्रणाली-सही समय (डीएसएस-आरटी) (v) जलविज्ञानीय अभिकल्प सहायता- सतही जल (एचडीए-एसडब्यू) (vi) सही समय नदी-प्रवाह पूर्वानुमान तथा जलाशय प्रचालन प्रणाली का विकास और महाराष्ट्र में आरटीडीएएस उपकरण स्थापित करना (vii) राज्य आंकड़ा केन्द्र इमारत का निर्माण (viii) एनडब्यूए, सीडब्यूसी, पुणे में भवनों का निर्माण (ix) जल-मौसम विज्ञानी नेटवर्क की स्थापना (x) डब्यूीएए आईएसडीओएम (विजडम) का उन्नयन

(xi) ईजीएमएस का विकास। (xii) जलभृत मानचित्रीकरण

16. **मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण:** इसमें चार घटक अर्थात 1. सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी), 2. राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्यूए), 3. राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण संस्थाएन (आरजीआई) एवं 4. क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं ।

17. **नदी बेसिन प्रबंधन:** नदी बेसिन प्रबंधन एक नामित की गई नई स्कीम है जिसे दो निर्माणाधीन स्कीमों नामत: नदी बेसिन संगठन, जल संसाधन विकास स्कीम के अन्वेषण का आमेलन करके तैयार किया गया है। स्कीम में सीडब्यूसी की पुन:संरचना और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यकलाप भी शामिल हैं।

(i) नदी बेसिन संगठन: आरबीओ से सभी सह-बेसिन राज्यों को आवश्यपक अध्ययन और मूल्यांकन आदि प्रारंभ करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाएगा ताकि संसाधनों की ईष्टतम उपयोगिता हेतु अधिकतम समुचित विकल्प को अभिज्ञात किया जा सके इसलिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्य करने के लिए आरबीओ का गठन आवश्यतक है।

(ii) जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण:- स्कींम सर्वेक्षण, क्षेत्रीय अन्वेषण से संबंधित कार्यकलापों को करने, विभिन्न जल संसाधन विकास स्कीमों की पूर्व-व्यीवहार्यता/व्यंवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए आवश्यक है जिसमें जल के अंत: बेसिन अंतरण, राष्ट्रीय परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने तथा उपर्युक्त की प्राप्ति के लिए आवश्यक, सहायक पूरक अथवा लाभदायक समझी जाने वाले अन्य अध्ययनों और गतिविधियों को पूरा करना शामिल है।

(iii) सीडब्यूसी की पुन: संरचना:- केंद्रीय जल आयोग की पुन: संरचना जल परिवर्तन के संभावित प्रभाव, नदी बेसिन को एक यूनिट मानते हुए जल संसाधनों की समग्र आयोजना एवं विकास, एक ओर आयोजकों और दूसरी और पणधारियों के बीच कुशल समन्वय करने, परियोजनाओं के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता, क्षमता निर्माण तथा समेकित जल संसाधन विकास और प्रबंधन की कमी जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए आवश्यक है।

(iv) ब्रह्मपुत्र बोर्ड: ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में बाढ़ और तटीय कटाव के नियंत्रण हेतु उपायों की आयोजना और समेकित कार्यान्वयन करने तथा इससे संबंधित मामलों के लिए किया गया है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्यों के कुछ हिस्से तथा पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा शामिल है। यह सर्वेक्षण, अन्वेषण और मास्टर योजना तैयार करने, जल-निकास के विकास संबंधी स्कीम तथा माजुली द्वीप की बाढ़ और भू-कटाव से सुरक्षा, ढोला हातीगुली में ब्रह्मपुत्र के एवल्शन कार्य सहित कटाव-रोधी कार्य करता है, जो निरंतर जारी रहने वाले कार्यकलाप है।

http://indiabudget.nic.in

18. **राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन:** भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना ने आठ राष्ट्रीय मिशनों, जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ ''राष्ट्रीय जल मिशन'' भी शामिल है, के सांस्थानीकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौतियों से पार पाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अभिज्ञात किया है। राज्य सरकारों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, गैर-सरकारी संगठनों, अकादमियों आदि के पूर्ण सहयोग सहित परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के लिए मिशन दस्तावेज का मसौदा तैयार किया गया था। दिनांक 17 मार्च, 2009 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें सभी पणधारियों ने भाग लिया था। दिनांक 6 अप्रैल, 2011 को संपन्न अपनी बैठक में मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्रालय की जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय जल मिशन से संबंधित मंत्रिमंडलीय टिप्पण पर विचार किया तथा इसमें शामिल प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य ''एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्य के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर जल का संरक्षण, जल की बर्बादी में कमी लाना और इसका अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है।

19. **सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम:** सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम XIIवीं पंचवर्षीय योजना में 10000.00 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय से शुरू की गई एक नई स्कीम है।

जल प्रयोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के बीच जल के अविवेकपूर्ण अन्तर क्षेत्रीय और अन्त: क्षेत्रीय वितरण की पहचान करना, निम्न जल उपयोग दक्षता, जल संसाधनों की आयोजना एवं विकास के प्रति असमान दृष्टिकोण, निम्न जल उपयोग प्रभार और उनकी अपर्याप्त वसूली आदि देश में जल संसाधन के प्रबंधन के साथ जुड़ी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। 13वें वित्त आयोग ने इस संबंध में कई सिफारिशें की थीं। इनमें से एक, जल क्षेत्र प्रबंधन को अपने परिणाम सुधारने के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन अनुदान देने की सिफारिश है। अनुदान अर्हता के लिए आयोग ने शर्तें सुझाई थीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक प्रत्येक वर्ष के लिए सिंचाई सेवा शुल्क (आईएसएफ) की वसूली की अपेक्षित दर के लिए राज्य--वार लक्ष्य शामिल हैं।

20. **बांध पुनर्स्थापना सुधार परियोजना:** आर्थिक कार्यों संबंधी मत्रिमंडल समिति ने विश्व बैंक की सहायता वाली बांध पुनर्स्थापना एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) की स्कीम हेतु प्रस्ताव 25 अक्तूबर, 2011 को अनुमोदित किया है। सरकार ने विश्व बैंक की सहायता वाली बाँध पुनर्स्थापना एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के कार्यान्वयन के लिए स्कीम तैयार की है जिसके तहत केरल, मध्य प्रदेश, औडिशा और तमिलनाडु राज्यों में 223 बांधों के पुनर्स्थापना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है और साथ ही इन चार राज्यों में बाँध सुरक्षा सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण और केन्द्रीय जल आयोग में बाँध सुरक्षा संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है ।विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सभी डीआरआईपी कार्यकलाप इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किए जाएंगे और 6 वर्षों तक चलेंगे। परियोजना से चुनिंदा वर्तमान बांधों की सुरक्षा और प्रचालनात्मक निष्पादन में सुधार आएगा और उनके असफल होने का जोखिम कम होगा। प्रारंभिक लाभार्थी-शहरी और ग्रामीण दोनों समुदाय तथा अनुप्रवाह-समुदाय अपनी जलापूर्ति और जीविका के लिए संबंधित जलाशयों पर निर्भर होते हैं को भौतिक और/अथवा प्रचालनात्मक जोखिम हो सकता है यदि बाँध सुरक्षा से कोई समझौता किया जाता है। सांस्थायनिक सुदृढ़ीकरण घटक से भी, बाँध सुरक्षा संगठन और प्रभावकारी बनेंगे जो यह देखने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं कि ढांचागत और प्रचालनात्मक दृष्टि से बाँध सुरक्षित रहते हैं। 2012-13 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 23.00 करोड़ रूपए है।

23. **भूमि जल प्रबंधन तथा विनियमन:** पिछले कई वर्षों में विकास संबंधी कार्य-कलापों ने देश के कई भागों में भूमि जल क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। देश में अतिदोहित तथा गंभीर क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हुई है। विभिन्न प्रकार की जलवैज्ञानिक स्थितियों के अंतर्गत तथा बेहतर भूमिजल गवर्नेंस हेतु प्रभावी प्रबंधन पद्धतियां तैयार करने के लिए भूमि जल के विकास के लिए वैज्ञानिक आयोजना की आवश्यकता है। देश में भूमिजल से संबंधित संगठनों द्वारा जिस सर्वप्रमुख चुनौती का सामना किया जा रहा है वो है भूमि जल प्रबंधन। संगठनों के कार्य-कलापों में देश के प्रमुख भागों में भूमिजल प्रबंधन के माध्यम से जल सुरक्षा उपलब्ध कराने के समग्र उद्देश्य सहित प्राथमिकता मुद्दों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। भूमिजल क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने भूमिजल प्रबंधन के अनेक मुख्य मुद्दों को निर्धारित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। 12वीं योजना के दौरान प्रस्तावित मुख्य कार्य-कलाप इस प्रकार होंगे : (i) जलभृत मानचित्रीकरण जलभृत मानचित्रीकरण कार्यक्रम के परिणाम में भूमिजल विकास हेतु संभावित क्षेत्रों का निर्धारण, भूमिजल विनियमन, वर्षाजल संचयन तथा कृत्रिम पुनर्भरण, जल प्राप्ति क्षमता, कुओं की गहराई एवं डिजाइन, सुरक्षित जल प्राप्ति, जल जमाव वाले क्षेत्र तथा गुणवत्ता संबंधी समस्या वाले क्षेत्र इत्यादि शामिल हैं। (ii) भूमि जल प्रबोधन प्रेषण कुओं का सुदृढ़ीकरण। XII वीं योजना के दौरान, प्राथमिक क्षेत्रों में केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा 10000 पीजोमीटरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा 10% कुओं में डीडब्यूएलआर तथा टेलीमेट्री प्रणाली को लगाया जाएगा और अधिक सृजित किए गए कुओं की निगरानी पंचायती राज संस्थाओं तथा सिविल समाज को शामिल करते हुए सहभागिता प्रकार से की जानी है। सुव्यवस्थित प्रबोधन नयाचार सहित प्रस्तावित भूमिजल स्तर तथा जलगुणवत्ता प्रबोधन नेटवर्क भूमिजल के विकास की आयोजना के साथ साथ सामयिक उपयुक्त प्रबंधन उपाय अपनाने का आधार प्रदान करेगा। XII वीं योजना के दौरान, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड का परिष्कृत जल गुणवता उपकरण का उपयोग करते हुए वर्ष में एक बार उक्त प्रेषण कुओं से एकत्र जल के नमूनों का विश्लेषण करने का प्रस्ताव है। योजना के दौरान 5 वर्षों में 1.1 लाख जल के नमूनों का विश्लेषण करना प्रस्तावित है।

28.01. **बाढ़ पूर्वानुमान:** बाढ़ पूर्वानुमान को, बाढ़ संभावित क्षेत्रों को पहले से चेतावनी देकर बाढ़ प्रबंधन के लिए एक कारगर उपाय के तौर पर जाना जाता है। भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी देने के कार्य में- अंतर-राज्यीय नदियों पर जल विज्ञानीय प्रेक्षण शामिल है और यह कार्य केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्यूसी) को सौंपा गया है।

वर्तमान आंकड़ा प्राप्ति और संचार प्रणाली यद्यपि समय की कसौटी पर कसी गई होती है तथापि, स्वपचालित सही समय संबंधी आंकड़ा संग्रहण, उनके संचार और बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करना, जिसमें उनका प्रसार भी शामिल है, के लिए वर्तमान आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को अपनाकर इसे आधुनिक बनाने की आवश्यककता है ताकि पहले चेतावनी दी जा सके और संबंधित अभिकरण, बाढ़ आपदा जोखिम को कम करने के उपाय कर सकें।

सीडब्ल्यूसी ने IXवीं योजना के दौरान अपने बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का आधुनिकीकरण प्रारंभ कर दिया था ।

बाढ़ पूर्वानुमान जो कि एक गैर संरचनात्मक उपाय है, बाढ़ के दौरान लोगों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सीडब्ल्यूसी द्वारा किया जा रहा बाढ़ पूर्वानुमान का कार्य, XIIवीं योजना अवधि में भी जारी रखना अपेक्षित है और साथ ही साथ मौजूदा नेटवर्क का आधुनिकीकरण और स्वचालित आंकड़ा संग्रहण का विस्तार, संचार और बाढ़ संबंधी सूचना का प्रसार करना भी अपेक्षित है।

http://indiabudget.nic.in

28.02. **सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन कार्यकलाप:** सभी कार्य अर्थात नेपाल, भूटान, चीन और बांगलादेश की द्विपक्षीय बैठकों पर किया गया व्यय, बंगलादेश के साथ हुई गंगा जल संधि 1996 के अंतर्गत बंगलादेश के साथ गंगा के जल के बंटवारे हेतु बंगलादेश के साथ किए गए संयुक्त जलविज्ञानीय प्रेक्षण करने, नेपाल, भूटान, चीन से भारत को प्रवाहित होने वाली नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी कार्यकलाप जिसमें चीन सरकार को सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों के बाढ़ संबंधी आंकड़े प्राप्त करने पर प्रभार देना तथा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) की स्थापना लागत इत्यादि शामिल है, जबकि जीएफसीसी की स्थापना निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अंत: XIIवीं योजना के दौरान ये कार्यकलाप जारी रहेंगे। इसी तरह गंगा-बेसिन की बाढ़ समस्याओं की जीएफसीसी द्वारा की जाने वाली जांच जारी रहेगी तथा इसकी स्थापना को भी जारी रखने की आवश्यकता है।

कोसी एवं गंगा-बैराजों के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का अनुरक्षण दीर्घकालीन आधार पर जारी रहेगा। कुछ तटीय सुरक्षा कार्य पूरे हो चुके है परंतु इन निर्माणाधीन कार्यों में से अधिकांश को XIIवीं योजना में आगे लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कटाव स्थलों के संबंध में बांगलादेश से विचार विमर्श किया जा रहा है तथा एक बार समझौता होने पर इन स्थलों पर कार्य प्रारंभ किये जायेंगे। अंत: ये कार्य XIIवीं योजना के दौरान जारी रहेंगे।

30. **फरक्का बैराज परियोजना:** फरक्का बैराज परियोजना के रखरखाव गतिविधियों, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के परिरक्षण और रखरखाव संबंधी इसके कार्य तथा भारत-बंगलादेश में जल के बंटवारे संबंधी संधि 1996 के कार्यान्वयन हेतु परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए योजना स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की गई है। XIवीं योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 350 करोड़ रूपये की राशि अनुमोदित की गई थी जिसमें से 240 करोड़ रूपये की राशि अगस्त, 2011 तक खर्च की गई है। XIIवीं योजना के दौरान गंगा/पदमा और भागीरथी नदियों पर फ्रौक्स बंध और गाईड बंधों सहित सभी क्षतिग्रस्त फाटकों को बंद और खोलने की अतिरिक्त गतिविधियों/नदी प्रशिक्षण/तटीय सुरक्षा कार्य पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है। यह स्कीम मूलत: एक यातायात क्षेत्र की स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का मुख्य ब्यौंरा है : (i) कटाव रोधी कार्य – 300 करोड़ रूपये तथा (ii) बैराज के क्षतिग्रस्त फाटकों को बदलना – 150 करोड़ रूपये (iii) परियोजना के प्रचालन और रखरखाव के अन्य कार्य- 350 करोड़ रुपये।

http://indiabudget.nic.in